5667 5665 500Rs.

बैनामा अंकन 17,500)रु0,

स्टाम्प 1837)रु0 50 पैसे,

विक्रय सम्पत्ति माजी एक बीघा तेरह बिस्वे सात बिस्वांसी पुख्ता भूमि स्थित ग्राम अथला तहसील दादरी जिला गाजियाबाद किस्म जमीन- खादर दोयम खाकी जिसकी सरकारी निर्धारित दर 10,000)रु0 प्रति बीघा पुख्ता से विक्रीत भूमि की मालियती 16,675)रु0 होती है। और विक्रीत भूमि की मालगुजारी 5)रु0 40 पैसे सालाना है।

मैं कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनरायन निवासी कलब रोड सिविल लाईन लुधियाना द्वारा श्री हरिकृष्ण लाल सोहनी एड्वोकेट सुपुत्र श्री गिरधारीलाल निवासी 807/7 चर्च रोड सिविल लाईन लुधियाना मुख्तारनामा आम मिन जानिब सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त

13 JUL 1982

2001 पंजाब

नकलीस .... आई

फीस	उजरत मु०	योग
175001 — 106/	6/—	192/— 8.00

श्री/श्रीमती .... हरि कृष्ण लाल
पुत्र/पत्नी/विधवा .... गिरधारी लाल पेशा वकालत
निवासी .... चकरी - सिविल लाइन्ज़ लुधियाना
ने यह दस्तावेज़ कार्यालय सब-रजिस्ट्रार
.... में आज दिनांक 13/7/..
को .... बजे दिन के प्रस्तुत किया।

13 7 82

तहरीर व तफ़सील दस्तावेज़ हाज़ा से
सुन व समझकर तथा वसूलयाबी कुल
ज़रे समन मु० 17500/- रुपये
जिसमें से मु० ....
जो हमारे समक्ष प्राप्त करके उक्त
श्री/श्रीमती .... हरि कृष्ण लाल ने स्वीकार किया।
ने स्वीकार किया।

पहिचान प्रतिज्ञा श्री .... हरबन्स लाल
पुत्र श्री .... ठाकुर सिंह पेशा काम
निवासी .... लुधियाना
व श्री .... सुरजपाल सिंह
पुत्र श्री .... धूम सिंह
निवासी .... कारड़ी पराशरवंश नंबरी
ने की।

13-7-82

T.L. returned
13/7/82

(2)

का हूँ।

विदित हो कि म्वाजी एक बीघा तेरह बिस्वे सात बिस्वासी पुख्ता भूमि सम्बन्धित नम्बरी शिजरा खसरा सहरार्ह- 1312/1 रकबई नौ बिस्वे सात बिस्वासी पुख्ता व 1330 रकबई एक बीघा चार बिस्वा योग रकबई एक बीघा तेरह बिस्वे सात बिस्वासी पुख्ता स्थित ग्राम अर्थला परगना लौनी तहसील दादरी जिला गाजियाबाद का सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त विक्रेता सत्ता प्राप्त स्वामी व अधिपति है जो हर प्रकार की देनदारी तकावी आदि से सुरक्षित है कही अन्य जगह आड रहन बय हिबे महायदाबय आदि में ग्रस्त नही है मिलकियती विक्रेता छछकोईछछछछ में कोई दोष व त्रुटि नही है और मुझ विक्रेता को बहैसियत मुख्तार आम

13 JUL 1982

2001

13/7/82

[illegible]

[illegible] लिये गये जो बजाहिर भले
मनुष्य प्रतीत होते हैं।

ह० 13/7/82

500Rs.

(3)

बेचने का पूर्ण रूप से हक हासिल है मुख्तार नामा आम तहरीरी 12-7-82 ई0 जिसकी पंजीकृत बही नम्बर-4 जिल्द 39 के पेज 383 में नम्बर- 1192 पर दिनांक 12-7-82 ई0 कार्यालय सब रजिस्ट्रार लुधियाना (पंजाब) में दर्ज होकर हुई है। और मुख्तारनामा आम आज दिन तक बदस्तूर कायम है अतः मैंने अपनी खुशी व रजामन्दी से उपरोक्त भूमि के तमामी हकूक

JUL 1982

4001

13/7/82

100Rs.

(4)

मालकाना दाखली व खारजी हर किसम अदायगी मालगुजारी

सरकारी गर्ज कि जो कुछ भी उससे सम्बन्धित है को आज की

तारीख में बदले मुबलिग 17,500)रु० सतर हजार पांच सौ रुपये

में आधे जिसके अंकन 8750)रु० होते है। में बहक देवकुमार अग्रवाल

हिन्दू संयुक्त परिवार(एच०यू०एफ०) ओसियन व्यु वार्डन रोड

बम्बई कर्ता देवकुमार अग्रवाल द्वारा वाई०के० शर्मा कारकून के बय

03 JUL 1982

(5)

कतई कर दी और बेच दी और कुल रूपया नकद हंगाम रजिस्टरी रु.व

रु.सब रजिस्ट्रार महोदय दादरी के वसूल पा लिया कुछ बाकी नही

रहा अब विक्रीत भूमि की मिलकियत से विक्रेता व वारसान विक्रेता

का कोई सम्बन्ध बाकी नही रहा न आईन्दा होगा कब्जा मौके

पर खरीदारा का मिसल अपनी के हवालगी व सुपुर्दगी के करा दिया

है जिसके खरीदारा पूर्णतः मालिक स्वामी बन गये है अपनी इच्छानुसार

13 JUL 1982

13/7/82

100Rs.

इस्तेमाल मालकाना में लाकर लाभ उठावें कुछ उजर नही होगा

कागजात माल में खरीदार का नाम दर्ज करा दूगी वरना

खरीदार खुद करालें कुछ उजर न होगा यदि बवजहबेदस्तहका की

विक्रेता या बदावेदारी सहीम व शरीक वारसान विक्रेता या

03 JUL 1982 १००१

तारीख

13/7/82

30 Rs.

(7)

बवजह नामालूम किसी कानूनी नुक्स से विक्रीत भूमि कुल या

जुज कब्जे खरीदार से निकल जावेगी तो कुल रुपये की वापसी मये

13 JUL 1982

13/7/82

7 Rs

INDIA

सात रूपये

सत्यमेव जयते

SEVEN RUPEES भारत SEVEN RUPEES

सूद कानूनी व जुमले हरजे खरचे का मुकिर व वारसान विक्रेता

व विक्रेता जिम्मेदार रहेगें। जिसकी वसूल याबी विक्रेता की

चल व अचल सम्पत्ति तथा जात व खास से जिस प्रकार चाहे

[illegible] JUL 1982

सं. ____ प्राप्त ____ दि. ____

[illegible] सं. ____ दिया।

13/7/82

नियन्त्रक

[illegible]

50 P.

INDIA

पचास पैसे पचास पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

FIFTY PAISE

(9)

वसूल करलें कुछ उजर न होगा बाजारी कीमत यही है आस पास भाव 3450) रु0 प्रति बीघा खाम है बैनामें का खरचा खरीदार ने सहन किया है अतः यह बैनामा कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

नोट पर्त 2 की सतर 10 में शब्द विक्रेता व में के बीच कटा है।

तारीख 13-7-82 ई0 मसौदा भूलेराम वसीकेनवीस गाजियाबाद।

(टाइप किया)
आदेश कुमार शर्मा

927

3 JUL 1982

8/40

प्रविष्ट ... पृ. ...

9227

दर्ज 13/7/82

U/C No 4243

पंजीयन
का.स.पी. व मा.मार्ग

172

338/341

14/10/82

5666